बिहार सरकार

गृह विभाग (विशेष शाखा)

<u>आदेश</u>

ज्ञापांक– जी/आपदा–06–02/2020– 5015 पटना, दिनांक– 04 अगस्त, 2021

दिनांक– 04.08.2021 को आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक में राज्य में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु लागू प्रतिबंधों को शिथिल करने की प्रक्रिया को जारी रखते हुए **दिनांक–07.08.2021 से 25.08.2021** तक प्रतिबन्धों की निम्न रूपरेखा को लागू करने का निर्णय लिया गया :–

1. <u>दुकान एवं प्रतिष्ठान</u> :–

सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान सामान्य रुप से साप्ताहिक बन्दी के साथ संध्या 07.00 बजे तक खुल सकेंगे।

दुकानों/प्रतिष्ठानों का संचालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाएगाः–

- दुकानों/प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- दुकानों/प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी।
- दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (2 गज़ की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जाएंगे।
- **दुकानों/प्रतिष्ठानों में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी।**
- **सभी दुकानों/प्रतिष्ठानों को अपने यहाँ कार्यरत कर्मियों की सूची टीकाकरण की स्थिति के साथ स्थानीय थाने को देनी होगी।**

उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

2. <u>शिक्षण संस्थान :–</u>

क. विश्वविद्यालय, सभी प्रकार के कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा विद्यालय– **नवीं से बारहवीं कक्षा** तक के लिये– **कुल छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। प्रत्येक छात्र एक दिन बीच कर विद्यालय आ सकेगा।**

ख. **पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यालय दिनांक 16.08.2021 से कुल छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे, परन्तु उसके पूर्व शिक्षा विभाग सभी विद्यालयों में समुचित साफ–सफाई एवं सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करेगा। प्रत्येक छात्र एक दिन बीच कर विद्यालय आ सकेगा।**

ग. ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था के विकल्प को भी उपलब्ध रखा जाएगा।

घ. सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी प्रशिक्षुओं की 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। **प्रत्येक प्रशिक्षु एक दिन बीच कर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेगा।**

ङ. **कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय तथा अनुसूचित जाति/जनजाति आवासीय विद्यालय/कर्पूरी छात्रावासों का संचालन अनुमान्य होगा।**

च. राज्य सरकार के आयोगों, पर्षद, बोर्डों एवं अन्य समतुल्य संस्थानों द्वारा नियुक्ति एवं विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश/चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) के अनिवार्य अनुपालन के साथ अनुमान्य होगा।

छ. स्वास्थ्य विभाग शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था करेगा।

ज. दसवीं कक्षा से ऊपर के पाठ्यक्रम से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान कुल छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। प्रत्येक छात्र एक दिन बीच कर कोचिंग संस्थान आ सकेगा। कोचिंग संस्थानों में केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों को ही कार्य करने की अनुमति होगी। सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहाँ कार्यरत कर्मियों की सूची टीकाकरण की स्थिति के साथ स्थानीय थाने को देनी होगी।

झ. शिक्षा विभाग द्वारा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार की जानकारी बच्चों को दी जायेगी, ताकि उनके माध्यम से अभिभावकों को भी जागरूक किया जा सके।

3. सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 100 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी। किन्तु खड़े होकर तथा बस की छत पर बैठकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी।

4. सिनेमा हॉल दर्शकों की कुल क्षमता की 50 प्रतिशत के उपयोग के साथ संध्या 7 बजे तक खुल सकेंगे।

5. शॉपिंग मॉल एक दिन बीच कर (alternate days) संध्या 7 बजे तक खुल सकेंगे।

6. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन– सरकारी (कोविड से संबंधित कार्यक्रमों को छोड़कर) एवं निजी–पर रोक रहेगी।

7. कोरोना के तीसरे लहर के आगमन की संभावनाओं को देखते हुए आपदा प्रबंधन समूह द्वारा स्थिति पर सतत् निगरानी रखी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाएगा और जिला प्रशासन द्वारा कड़ाई से अनुपालन भी कराया जाएगा।

शेष निम्नांकित प्रावधान पूर्ववत् लागू रहेंगे–

8. सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर–सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुल सकेंगे। सरकारी कार्यालयों में केवल कोविड टीका प्राप्त (vaccinated) आगंतुकों का प्रवेश अनुमान्य होगा। कार्यालय प्रधान उक्त सम्बन्ध में आदेश निर्गत कर सकेंगे।

न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा।

9. क्लब, जिम एवं स्विमिंग पूल कुल क्षमता के 50% उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। स्टेडियम (इंडोर सहित) और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केवल खिलाड़ियों के अभ्यास हेतु खोले जा सकेंगे। किन्तु उपर्युक्त सुविधाओं का उपयोग केवल कोविड टीका प्राप्त (vaccinated) व्यक्तियों के लिए अनुमान्य होगा। सम्बन्धित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड टीका ले चुके हों।

सम्बन्धित प्रतिष्ठान का प्रबंधन यह भी सुनिश्चित करेगा कि आगंतुकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से सम्बन्धित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) का अनिवार्य अनुपालन किया जाए।

10. रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन आगंतुकों की बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50% उपयोग की अनुमति के साथ अनुमान्य होगा। होम डिलीवरी प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक अनुमान्य होगा। सम्बन्धित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड टीका ले चुके हों।

11. विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे, किन्तु इनमें डी0जे0 एवं बारात जुलूस की इजाजत नही होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम–से–कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 50 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी।

12. सभी पार्क एवं उद्यान प्रतिदिन प्रातः 6.00 से 12.00 मध्याह्न तक खुल सकेंगे। संबंधित प्रतिष्ठान का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि आगंतुकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) का अनिवार्य अनुपालन किया जाए।

13. राज्य में संध्या 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक Night curfew लागू रहेगा। उक्त अवधि में निम्न अनुमान्य होंगे :–

- स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन।
- अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वन प्रबंधन में संलग्न वाहन।
- वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई–पास निर्गत है।
- सभी प्रकार के मालवाहक वाहन।
- वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई–जहाज/ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हों और उनके पास टिकट हो।
- कर्त्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन।
- अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन।

14. सभी प्रकार के सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/ खेल–कूद/सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित होंगे।

15. निजी वाहनों के परिचालन तथा पैदल आवागमन पर (Night Curfew की अवधि को छोड़कर) कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

16. सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इनका पालन नहीं करने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

17. अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित), उनके निर्माण एवं वितरण इकाईयां–सरकारी एवं निजी, दवा दुकानें, चश्मा की दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे।

18. जिला पदाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर उपर्युक्त प्रतिबंधों के अतिरिक्त एवं अधिक सख्त प्रतिबंध लगा सकेंगे, किन्तु किसी भी परिस्थिति में उपर्युक्त प्रतिबंधों को शिथिल नहीं किया जा सकेगा।

जिला प्रशासन भीड़–भाड़ वाले स्थलों, यथा– सब्जी मंडी, बाजार आदि तथा सार्वजनिक वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से सम्बन्धित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) का सख़्त अनुपालन कराना सुनिश्चित करेगा। यदि किसी स्थान/बाजार/प्रतिष्ठान में निरंतर निर्देशों के उपरान्त भी उपर्युक्त का अनुपालन नहीं किया जा रहा हो, उन्हें अस्थायी रूप से बन्द करने के साथ अन्य सख़्त कार्रवाई की जा सकती है।

सभी जिला पदाधिकारी उपर्युक्त कंडिकाओं में वर्णित आदेशों के अनुपालन हेतु दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा निर्गत करेंगे।

उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51–60 एवं भा.द.वि. की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

4/8/21

(त्रिपुरारि शरण)
मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञापांक– जी/आपदा–06–02/2020– 5015 **पटना, दिनांक– 04 अगस्त, 2021**

प्रतिलिपि– सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप–महानिरीक्षक/सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/8/2021

(अनिमेश पाण्डेय)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– जी/आपदा–06–02/2020– 5015 **पटना, दिनांक– 04 अगस्त, 2021**

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/पुलिस महानिदेशक/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, बिहार, पटना को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।

4/8/2021

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– जी/आपदा–06–02/2020– 5015 **पटना, दिनांक– 04 अगस्त, 2021**

प्रतिलिपि– गृह सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।

4/8/2021

सरकार के संयुक्त सचिव